

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या- Proposal No. FP/UP/ROAD/144204/2021

1	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जनपद-हाथरस में मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई बदायूँ (उ०प्र०) द्वारा मथुरा-बरेली मार्ग (एस०एच-33) वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 530बी कि०मी० 66 से 123.100 तक सुधार एवं उन्नयन (पैकेज-2) मार्ग चौड़ीकरण में जनपद कासगंज की 12.4681 है० संरक्षित वनभूमि एवं 1959 वृक्ष एवं 21888 पौधे, जनपद एटा की 5.3244 है० संरक्षित वनभूमि एवं 945 वृक्ष एवं जनपद हाथरस की 71.6191 है० संरक्षित वनभूमि एवं 8255 वृक्ष एवं 10891 पौधे, कुल 89.4116 है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 11159 वृक्ष एवं 32779 पौधों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव। हाँ, दिनांक 12.10.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण नोट संलग्न है।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 13.10.2023

स्थान:- अलीगढ़।

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।